उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-8/2017/3933/पांच-8-2016-जी0(309)/2016

लखनऊ : दिनांक 03जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-80/1459/पांच-8-2015-म0(04)/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 मो0 सरफराज की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा में की गयी। डा0 मो0 सरफराज अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे। प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 मो0 सरफराज, चिकित्साधिकारी की अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा में की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया के अधीन एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 मो0 सरफराज, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-05-2015 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

डा0 नीरज शुक्ला,
विशेष सचिव।

<u>संख्या-8/2017/3933(1)/पांच-8-2016-तददिनांक</u> ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।

4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद/आजमगढ़ मण्डल।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।

7- मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा/बलिया।

8- कोषाधिकारी, अमरोहा/बलिया।

9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-9/2017/3280/पांच-8-2016-जी(45)/2016

लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 शफीक अहमद चिकित्साधिकारी की प्रथम नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी के अधीन दिनांक 06-07-2007 की गई थी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 शफीक अहमद द्वारा दिनांक 01-07-2010 तक कार्य किया गया। डा0 अहमद का स्थानान्तरण दिनांक 08-07-2010 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्वार्थनगर के अधीन कर दिया गया। डा0 शफीक अहमद द्वारा दिनांक 08-07-2010 को मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्वार्थनगर के अधीन कार्यभार ग्रहण करते हुए दिनांक 02-07-2012 तक कार्य किया गया। उक्त् के उपरान्त डा0 अहमद दिनांक 03-07-2012 से सेवा से अनुधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। डा0 शफीक अहमद की उक्त अनुपस्थिति अवधि के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्वार्थनगर द्वारा अपने पत्र दिनांक 03-08-2016 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को अवगत कराते हुए डा0 शफीक अहमद द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण कराये जाने के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 25-07-2016 को प्रेषित करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ से पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- तत्क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18फ/353/2007/935, दिनांक 14-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 शफीक अहमद चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- डा0 शफीक अहमद चिकित्साधिकारी के दिनांक 03-07-2012 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं शासकीय कार्यो से विरत रहने आदि आरोप में पृथम दृष्टया दोषी पाये जाने के आधार पर डा0 शफीक अहमद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जॉच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल बस्ती को जॉच अधिकारी नामित करने के एतदद्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

आलोक कुमार

सचिव।

-2/-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-9/2017/3280(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।

2- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल लखनऊ।

4- जॉच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल बस्ती को आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय व निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति संबंधित चिकित्साधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायें।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्वार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि डा0 शफीक अहमद अपचारी चिकित्साधिकारी के विरूद्व संगत साक्ष्यों सहित आरोप पत्र गठित कराकर 03 प्रतियों में विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें।

6- मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित कि डा0 शफीक अहमद चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

7- संबंधित चिकित्साधिकारी (डा0 शफीक अहमद) को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव के समक्ष अपनी योगदान आख्या तत्काल प्रस्तुत करें।

8- कोषाधिकारी, सिद्वार्थनगर/उन्नाव।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-10/2017/3912/पांच-8-2016-जी(270)/2016

लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 गोविन्द प्रसाद, चिकित्साधिकारी की प्रथम नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-नि0-353/चि-3-2006:05(नियुक्ति)/2006, दिनांक 24-11-2006 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर के अधीन की गई थी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 गोविन्द प्रसाद द्वारा दिनांक 07-12-2006 को मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 30-12-2006 से अपने कार्य चिकित्सकीय कार्य से विरत होकर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। लम्बी अनधिकृत अनुपस्थिति के उपरान्त डा0 गोविन्द प्रसाद चिकित्साधिकारी द्वारा पुन: दिनांक 14-11-2016 द्वारा पुन: कार्यभार ग्रहण कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- डा0 गोविन्द प्रसाद द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18फ/859/06/1143, दिनांक 23-11-2016 द्वारा आख्या उपलब्ध कराते हुए शासन से पुन: कार्यभार ग्रहण कराये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या एवं चिकित्सकों कमी के दृष्टिगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 गोविन्द प्रसाद चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- डा0 गोविन्द प्रसाद चिकित्साधिकारी के दिनांक 30-12-2006 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं शासकीय कार्यो से विरत रहने आदि आरोप में पृथम दृष्टया दोषी पाये जाने के आधार पर डा0 गोविन्द प्रसाद चिकित्साधिकारी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जॉच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल गोण्डा को जॉच अधिकारी नामित करने के एतदद्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

डा0 नीरज शुक्ला,
विशेष सचिव।

-2/-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2017/3912(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।

2- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

3- जॉच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल गोण्डा को आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय व निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति संबंधित चिकित्साधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायें।

4- मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि डा0 गोविन्द प्रसाद चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 गोविन्द प्रसाद अपचारी चिकित्साधिकारी के विरूद्व संगत साक्ष्यों सहित आरोप पत्र गठित कराकर 03 प्रतियों में विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करायें।

6- संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा (अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल गोण्डा)।

7- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in